

मध्य प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, भोपाल

//आदेश//

भोपाल, दिनांक 18.05.2022

क्रमांक 351/05/रूसा/वि.बै.परि./सी.सी/22/38 : उच्च शिक्षा विभाग अंतर्गत शासकीय महाविद्यालयों में किए जाने वाले समस्त भवन निर्माण कार्यों हेतु अधिकृत निर्माण एजेंसियों द्वारा भविष्य में बहुमंजिला इमारत (भूतल+2) के आधार पर तथा निर्मित भवनों के Structural design में भविष्य में होने वाले विस्तार का प्रावधान रखते हुए तैयार किया जाय। यदि किन्हीं स्थानों पर भूतल पर ही नवीन भवन निर्मित/अतिरिक्त कक्षों का विस्तार किया जाता है तो उसके यथोचित कारणों सहित आयुक्त, उच्च शिक्षा से उसकी अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत भविष्य में किए जाने वाले भवन निर्माण कार्यों के प्राक्कलन उक्त आधार पर तैयार किये जाएं।


(वीरन सिंह भलावी)

अवर सचिव,

मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृ.क्रमांक /05 /रूसा/वि.बै.परि.सी.सी/22/38

भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग।
2. निज सहायक, अपर मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग।
3. महालेखाकार, मध्य प्रदेश, ग्वालियर।
4. सम्बंधित समस्त निर्माण एजेंसी, म.प्र.की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
6. समस्त प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

अवर सचिव,

मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग